न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 18,मेरठ।

उपस्थित– श्री राजेश उपाध्याय एच0जे0एस0।

सत्रवाद संख्या 966 सन् 2013

सरकार बनाम दीपक।

मु0अ0सं0–113/13
धारा 307,504,506 भा0दं0सं0,
थाना– जानी,जिला मेरठ।

निर्णय

अभियुक्त दीपक पुत्र बीर महेन्द्र निवासी ग्राम खानपुर थाना जिला मेरठ के विरूद्व मु0अ0सं0–113/13 धारा 307,504,506 भा0दं0सं0, थाना जानी,जिला मेरठ से सम्बन्धित प्रकरण दिनांक 09.09.2013 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं09 मेरठ द्वारा विचारण हेतु सत्र न्यायाधीश,मेरठ के सुपुर्द किया गया है। माननीय सत्र न्यायाधीश,मेरठ के आदेशानुसार यह सत्र वाद विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादनी मुकदमा श्रीमती राजबाला पत्नी स्व0 बीरमहेन्द्र निवासी ग्राम खानपुर थाना जानी जिला मेरठ ने थाना जानी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि ''प्रार्थनी का पुत्र दीपक ने शराब पीकर मेरे साथ दिनांक 09.03. 2013 को समय 7:00 बजे सायं मुझे गन्दी गन्दी गालियां देने लगा।मैने रोकने की कोशिश की तो मुझे जान से मारने की नियत से फरसे से वार किया। जिससे मेरी दाहिनी बाजू में फरसा लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गयीं ।शरीर में ओर भी जगह गुम चोटें आयी है। प्रार्थिनी अपना इलाज कराकर रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आयी हैं। मेरे बेटे दीपक ने कहा है कि यदि तू घर में आयी तो अब बच गयी है। यदि दोबारा घर में आयी तो जान से मार दूंगा।''

वादनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क1 के आधार पर थाना जानी पर मु0अ0सं0–113/13 धारा 307,504,506 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त दीपक के विरूद्व दर्ज की गयी । मामले की विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया । गवाहान के बयान केस डायरी में अंकित किये एवं विवेचना के उपरान्त अभियुक्त दीपक के विरूद्व आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक के विरूद्व भा0दं0सं0 की धारा 307,504,506 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये है। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण किये जाने की मांग की है।

अभियोजन की तरफ से अपने कथनों के समर्थन में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू1 श्रीमती राजबाला व पी0डब्लू2 श्रीमती ममता को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन साक्षी श्रीमती राजबाला ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया है कि '' मैं हाजिर अदालत मुलजिम दीपक को जानता हूं। मेरा लड़का है। मेरा लडक दीपक शराब पीने का आदी है और शराब पीकर घर में आये दिन पत्नी व मेरे से गाली गलौच,मारपीट करता रहता था। दिनांक 0.03.13 को शाम के करीब 7:00 बजे दीपक शराब के नशे में घर आया और मुझे गन्दी गन्दी गाली देते हुए मेरे साथ छीना झपटी करने लगा। उसकी इस हरकत से मैं जमीन पर गिर गई और जमीन पर पड़ी दरांती मेरी उल्टी बांह में लग गई थी। दीपक ने मुझे जान से मारने की नीयत से फरसे से वार नहीं किया था न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना की तहरीर मैने गांव के रवि भारत से लिखायी थी। मैने रवि भारत को तहरीर में यह नहीं बोला था कि दीपक ने मेरे उपर जान से मारने की नीयत से फरसे से वार किया हो और जान से मारने की नीयत से धमकी दी थी। मैं नहीं बता सकती उसने ऐसा कैसे लिख दिया । तहरीर शामिल मिसल मेरी दस्तखती है। शिनाख्त करती हूं। इसपर प्रदर्श क1 डाला गया है। ''

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू 2 श्रीमती ममता नें अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया है कि '' मैं हाजिर अदालत मुलजिम को जानता हूं। मेरे पति है। मेरे पति शराब पीने के आदी है। दिनांक 09.03.13 को समय शाम 7:00 बजे की घटना है। मेरे पति दीपक शराब पीकर घर आये और मेरी सास और मैं घर पर ही थे। मेरे पति ने घर आकर शराब के नशे में मेरी सास के साथ कहा सुनी कर दी। मैने मना किया तो इन्होंने मेरे साथ भी कहा सुनी शुरू कर दी और मुझे व मेरी सास को गाली गलौच करने लगे थे और धक्का मुकी करने लगे थे। इसी धक्का मुक्की में मेरी सास राजबाला जमीन पर गिर गई थी और वहां पड़ी दरॉती मेरी सास के उल्टे हाथ में लग गई थी। दीपक ने मेरी सास के उपर फरसे से वार नहीं किया थ और ना ही जान से मारने धमकी दी थी।

अभियुक्त का धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान लेखबद्व किया गया है।

अभियुक्त ने अभियोजन कथन को गलत बताया है तथा स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया है। अभियुक्त ने सफाई में साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तहरीर प्रदर्श क1,प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क2,नकल जी0डी0 प्रदर्श क3,चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क4,नक्शा नजरी प्रदर्श क5 व आरोपपत्र प्रदर्श क 6 की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया ।

अभियुक्त दीपक के विरूद्व भा0दं0सं0 की धारा 307,504,506 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये है कि दिनांक 09.03.2013 को सायं 7 बजे उसने अपनी मां वादनी मुकदमा श्रीमती राजबाला को जान से मारने की नीयत से फरसे से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायी और गाली गलौच देते हुए जान से मारन की धमकी दी।

अभियोजन की तरफ से अपने केस को साबित करने के लिए पी0डब्लू1 श्रीमती राजबाला व पी0डब्लू2 श्रीमती ममता को परीक्षित कराया गया है।

अभियेाजन साक्षी पी0डब्लू1 श्रीमती राजबाला ने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान से इन्कार किया है तथा कथन किया है कि'' मेरा कभी दरोगा जी ने बयान नहीं लिया । पता नहीं कैसे लिख दिया। साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि '' मेरा लड़का दीपक अत्यधिक शराब पीने का आदी था और आये दिन शराब पीकर अपनी पत्नी व मुझसे मारपीट कर कहा सुनी करता रहता था। हम लोग मना करते तो लड़ने पर उतारू हो जाता था। दिनांक 09.03.13 को शाम के 7:00 बजे दीपक अत्यधिक नशे में घर आया और मुझ से गाली गलौच करने लगा। मैने उसे मना किया तो मेरे साथ छीना छपटी करने लगा। <u>छीना झपटी में मैं जमीन पर गिर गई और वहां पडी दरांती मेरे उल्टें हाथ में लग गई। दीपक ने मुझे जान से मारने की नीयत से फरसे वार नहीं किया था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।</u>मेरे जो चोट आई वह स्वयं गिर जाने से आई थी। मैने अपनी तहरीर में लिखने वाले को भी दीपक द्वारा जान से मारने की नीयत से फरसे से वार करने वाली बात तथा जान से मारने की धमकी देने वाली बात नहीं बताई थी। मैं कारण नहीं बता सकती कि उसने कैसे लिख दी। मैने बिना पढ़े सुने उसपर दस्तखत कर दिये थे।''

साक्षी ने यह भी कथन किया है कि'' यह कहना गलत है कि चूंकि मुलजिम दीपक मेरा लड़का है। उसे बचाने के लिए में आज सही बात न्यायालय में नहीं बता रही हूं।''

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू2 श्रीमती ममता ने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों से इन्कार किया है तथा कथन किया है कि मेरा कभी किसी पुलिस वाले ने बयान नहीं लिया। मैं कारण नहीं बता सकती कि यह बयान कैसे लिख लिया। साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि'' मेरा पति दीपक शराब पीने का आदी है। दिनांक 09.03.13 की सायं 7:00 भी दीपक अत्यधिक शराब पीकर घर आया था और मुझे व अपनी मां राजबाला झगड़ने लगा था। मैने मना किया था परन्तु दीपक नहीं माना था। इसी कहा सुनी व धक्का मुक्की में मेरी सास जमीन पर गिर गई। वहां पड़ी दरांती से उनके बाये हाथ में चोट आ गयी थी।दीपक ने मेरी सास के उपर फरसे से वार नहीं किया था और न ही दीपक ने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी थी। मेरी सास के जो चोट आयी थी वह घर में जमीन पर गिरकर वहां पडी दरॉती से लगी थी''। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि'' यह कहना गलत है कि मैं आज किसी डर दबाव व लालच के सही बात न्यायालय में नहीं बता रही हूं ।यह कहना भी गलत है कि मैं अपने पति को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रही हूं। ''

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू1 श्रीमती राजबाला व पी0डब्लू2 श्रीमती ममता जो अभियुक्त की मां एवं पत्नी है,के बयानों से अभियुक्त के विरूद्व भा0दं0सं0 की धारा 307,504,506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते है। उपरोक्त दोनो साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुए है। इनके अलावा अन्य कोई साक्षी अभियोजन की तरफ से नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्त दीपक संदेह का लाभ पाते हुए भा0दं0सं0 की धारा 307,504 व 506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त दीपक को भा0दं0सं0 की धारा 307,504,506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामे व व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है एवं जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू निर्णय की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करे।

अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू1 वादनी मुकदमा श्रीमती राजबाला व पी0डब्लू2 श्रीमती ममता द्वारा धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों के विपरीत न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया है। अतः इन साक्षीगण के विरूद्व धारा 344 दं0प्र0 के अन्तर्गत प्रकीर्ण आपराधिक वाद पंजीकृत कर नोटिस जारी है कि क्यों न इनके विरूद्व न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने के सम्बन्ध में दण्डात्क कार्यवाही की जाये।

(राजेश उपाध्याय)

दिनांक 10.03.17 अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं018,

मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेश उपाध्याय)

दिनांक 10.03.17 अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं018,

मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference.For authentic copy please refer to certified copy only.Pushpa